

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3250
दिनांक 20 मार्च, 2025 को उत्तरार्थ

एनटीपीसी की जल प्रबंधन कार्यनीति

3250. श्री विष्णु दयाल रामः

श्रीमती शोभनाबेन महेन्द्रसिंह बारैया:

श्री मनीष जायसवालः

श्री बिभु प्रसाद तराईः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) एनटीपीसी की जल प्रबंधन कार्यनीति किस प्रकार विद्युत क्षेत्र में भारत के समग्र संधारणीय लक्ष्य के अनुरूप है।

(ख) क्या ऐसे विशिष्ट क्षेत्र अथवा संयंत्र हैं जहां एनटीपीसी ने सर्वाधिक जल बचत की है और यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है; और

(ग) क्या अन्य विद्युत कंपनियों को इसी प्रकार की संधारणीयता संबंधी पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु कुछ नई नीतियों अथवा प्रोत्साहनों की योजना बनाई गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफएंडसीसी) ने दिनांक 07 दिसंबर, 2015 की अधिसूचना के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण (संशोधन) नियम, 2015 जारी किए हैं, जो ताप विद्युत संयंत्रों (टीपीपी) द्वारा विशिष्ट जल खपत की सीमा निर्दिष्ट करते हैं और दिनांक 28.06.2018 को इसमें संशोधन किया गया है।

तदनुसार, एनटीपीसी लिमिटेड ने जल संरक्षण की दिशा में विभिन्न पहल की हैं, जिनमें उन्नत प्रौद्योगिकियों और प्रक्रिया पुनर्रचना के माध्यम से जल खपत का अनुकूलन, मजबूत "जल नीति", "वर्षा जल संचयन नीति" का कार्यान्वयन और सभी स्टेशनों पर "जीरो लिकिवड डिस्चार्ज (जेडएलडी)" की स्थिति बनाए रखना शामिल है। जल संरक्षण के लिए एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा अपनाए गए विभिन्न उपाय/प्रणालियाँ निम्नानुसार हैं: -

- i. जीरो लिकिवड डिस्चार्ज (जेडएलडी) का कार्यान्वयन।
- ii. उच्च सांद्रित राख घोल निपटान (एचसीएसडी) प्रणाली।
- iii. सूखी फ्लाई ऐश निकासी प्रणाली।
- iv. तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र और वर्षा जल संचयन प्रणाली।
- v. राख जल पुनःपरिसंचरण प्रणाली (एडब्ल्यूआरएस)।
- vi. हाल ही में अवार्ड की गई परियोजनाओं में एयर कूल्ड कंडेनसर (एसीसी) और ड्राई बॉटम ऐश हैंडलिंग सिस्टम (डीबीएएचएस)।

(ख) : एनटीपीसी ने झारखंड के उत्तरी करनपुरा थर्मल पावर प्लांट (3x660 मेगावाट) की 02 इकाइयों में 'एयर कूल्ड कंडेसर (एसीसी)' लगाए हैं, जो क्रमशः दिनांक 18.01.2023 और 28.02.2024 को चालू हो गया है, जिसके परिणामस्वरूप कूलिंग टॉवर सिस्टम के संबंध में पानी की खपत में 60% की कमी आई है। इसके माध्यम से, एनटीपीसी ने जल संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया है।

(ग) : जल बचत के लिए एनटीपीसी द्वारा अपनाई गई संधारणीय प्रथाओं को अन्य विद्युत उत्पादक कंपनियों जैसे दामोदर घाटी निगम (डीवीसी), टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (टीएचडीसीआईएल) आदि द्वारा भी अपनाया जाता है।

विद्युत उत्पादन कंपनियों को संधारणीय प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदम निम्नानुसार हैं:

- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफएंडसीसी) ताप विद्युत संयंत्रों (टीपीपी) को पर्यावरण मंजूरी (ईसी) जारी करते समय पानी की खपत की सीमा निर्दिष्ट करता है जिसका अनुपालन संबंधित ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा किया जाता है।
- भारत सरकार (जीओआई) ने दिनांक 28.01.2016 को टैरिफ नीति अधिसूचित की है, जिसमें यह अनिवार्य है कि नगर पालिका/स्थानीय निकायों/ईसी तरह के संगठन के सीवेज उपचार संयंत्र के 50 किमी के दायरे में स्थित मौजूदा संयंत्रों सहित थर्मल पावर प्लांट्स को सीवेज उपचार संयंत्र से उनकी निकटता के क्रम में अनिवार्य रूप से इन निकायों द्वारा उत्पादित उपचारित सीवेज जल का उपयोग करना होगा और इस खाते पर संबंधित लागत को टैरिफ में पास-थ्रू के रूप में अनुमति दी जाएगी।
